निरस्त

न्यायालय उप जिलाधिकारी, देवरिया

श्रीमती देवी बहुगुणा एडुकेशनल ट्रस्ट
कृष्णा नगर, देवरिया।
बनाम
जिला सरकार

वाद संख्या-[illegible]/2018 अन्तर्गत धारा 144 उ0प्र0 जाब्ता फौ0, बरीना- लहुरा, तप0- बहुआरा, परगना- सलेमपुर महौली, तहसील व जिला- देवरिया।

निरस्त

आदेश

प्रस्तुत वाद उक्त संहिता विधान अधिनियम की धारा-144 के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि आराजी संख्या- 221क्ष मि0 रकबा 0.267 हे0 का पूर्वी मौजूदा समय में सक्षमतीय भूमिधरी अधिकार के अन्तर्गत मैं चाह रहा हूँ। उक्त भूमि ट्रस्ट की उद्देश्य के लिये पूर्वी की गयी की गयी की आवश्यकता मानुष पक्षी और सैनिक अस्पताल के लिये विद्यालयीय भूमि में पानी ट्रस्ट भवन की महाविद्यालय भवन, छात्र, छात्रावास कार्यालय उप आवास है। जिलाधिकारी भूमि में कोई व कोई से सम्बन्धित अन्य कोई कार्य नहीं हो रहा है। विद्यालयीय भूमि अनुमोदित कार्य यानि ट्रस्ट के भवन इत्यादि कार्यालय हो जाने के फलस्वरूप वर्तमान आवश्यकता उत्पन्न हो रहा है, इसलिये विद्यालयीय भूमि को आवश्यकता परिवर्तन कर दिया जाना तथा इसके अन्तर्गत के भी शर्तों को मुक्त किया जाना आवश्यक है। अतः मैं कहा गया है कि भूमि संख्या-221क्ष मि0 रकबा 0.267 हे0 को नगरपालिका करते हुये आराजी की घोषणा कर दिया जाये।

इस शर्तों के अधिकारों को मुक्त तथा पंजीकरण का आदेशांकन किया। शर्तों द्वारा संबंध सहायक इत्यादिगण सहमति प्रस्तुत किया गया है। तथ्य-पत्र के आधार पर तहसीलदार देवरिया ने आराजी ट्रस्ट की पूर्व स्थिति इस बात का प्रमाणित है कि ग्राम-बरहुआ तप0- बहुआरा, परगना- सलेमपुर महौली, तहसील व जिला- देवरिया में स्थित आराजी संख्या-221क्ष मि0 0.267 हे0 में रकबा 0.032 हे0 पर पक्का निर्माण कार्य हो रहा है शेष भूमि खाली है जो अनुमोदित भूमि है जो धारा-143 के अन्तर्गत रिपोर्ट केस में प्रमाणित है। उक्त आदेश को दृष्टिगत रखते हुये उक्त रकबा जो अनुमोदित परिवर्तित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं प्रतीत होती है।

अतः ग्राम-बरहुआ तप0- बहुआरा, परगना- सलेमपुर महौली, तहसील व जिला- देवरिया में स्थित आराजी संख्या-221क्ष मि0 रकबा 0.267 हे0 भू-भाग को अनुमोदित परिवर्तित किया जाता है। तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकित हो। संबंधित की एक प्रति उप निबन्धक, देवरिया को भेजी जाये।

उप जिलाधिकारी
देवरिया

निरस्त

न्यायालय उप जिलाधिकारी, देवरिया

इन्दिरा देवी बाबूलाल एजुकेशनल ट्रस्ट
ग्राम-भटौली, देवरिया।
बनाम
[illegible]

वाद संख्या-1173/2022 अन्तर्गत धारा 143
[illegible] अधि. सहित- [illegible]
तथा- [illegible], परगना- [illegible]
तहसील व जिला- देवरिया।

आदेश

प्रस्तुत वाद उपरोक्त अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत का कहा गया है कि आराजी संख्या- 3818 रकबा 0.076-66/100 हे0, 3820 से 3820क रकबा 0.038-1/2 हे0, 3821 से 3821क रकबा 0.006 हे0, 3822 से 3822क रकबा 0.142-2/3 हे0, कुल रकबा 0.264-82/100 हे0 व 3823 से 4238 रकबा 0.255 हे0 व आराजी संख्या 2238 मिं0 रकबा 0.142 हे0 सम्पूर्ण रकबा 0.661-82/100 हे0 का शादी मौकूफा वादी के अधिपत्य भूमिधरी अधिकार से तबादली में नाम दर्ज है। उक्त भूमि ट्रस्ट की व्यवस्था के लिये वादी को भवन की आवश्यकता प्रस्तुत नहीं और शैक्षिक व्यवस्था के लिये विवादास्पद भूमि में वादी ट्रस्ट भवन की चहारदीवारी, भवन, सहन, विद्यालय बनाया कर आबाद है। विवादास्पद भूमि में वादी या वादी के सम्बन्धित अन्य कोई कार्य नहीं हो रहा है। विवादास्पद भूमि अनुपयोग कार्य यानि ट्रस्ट के भवन इत्यादि बनाये हो जाने के कारणवश वादी आबादी बहन बनाना हो रहा है, इसलिये विवादास्पद भूमि को आबादी घोषित कर दिया जाना तथा इसके लगान से भी वादी को मुक्त किया जाना आवश्यक है। अन्त में कहा गया है कि भूमि संख्या-3818 रकबा 0.076-66/100 हे0, 3820 से 3820क रकबा 0.038-1/2 हे0, 3821 से 3821क रकबा 0.006 हे0, 3822 से 3822क रकबा 0.142-2/3 हे0, कुल रकबा 0.264-82/100 हे0 व 3823 से 4238 रकबा 0.255 हे0 व आराजी संख्या 2238 मिं0 रकबा 0.142 हे0 सम्पूर्ण रकबा 0.661-82/100 हे0 को सरनामयुक्त करते हुये आबादी की घोषणा कर दिया जाये।

मैंने वादी के अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा संशोधन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। वाद-पत्र के आधार पर तहसीलदार देवरिया के आख्या दर्ज की गई जिसमें इस बात का उल्लेख है कि ग्राम-[illegible], तथा- [illegible], परगना- [illegible] तहसील व जिला- देवरिया में स्थित आराजी संख्या-3818 रकबा 0.076-66/100 हे0, 3820 से 3820क रकबा 0.038-1/2 हे0, 3821 से 3821क रकबा 0.006 हे0, 3822 से 3822क रकबा 0.142-2/3 हे0, कुल रकबा 0.264-82/100 हे0 व 3823 से 4238 रकबा 0.255 हे0 व आराजी संख्या 2238 मिं0 रकबा 0.142 हे0 सम्पूर्ण रकबा 0.661-82/100 हे0 पर चहारदीवारी इत्यादि का कार्य हो रहा है शेष भूमि खाली के रूप में पायी है जो अनुपयोग भूमि है जो धारा-143 के अन्तर्गत रिपोर्ट लेना के योग्य है। उक्त आख्या को दृष्टिगत रखते हुये उक्त रकबा को अनुपयोग घोषित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं प्रतीत होती है।

आदेश: [illegible]–[illegible] तथा– [illegible], [illegible]– [illegible] [illegible] [illegible]